

CHHATTISGARH STATE POWER GENERATION CO. LTD.

छत्तीसगढ् स्टेट पावव जनवेशन कंपनी लिमिटेड

(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) CIN: U40108CT2003SGC015821



क्र. 03-11/सू.अधि./33-17/2790 प्रति. रायपुर, दिनांक 01-07-17

श्री एस.के.महादुले, अध्यक्ष छ.रा.वि.मं.पत्रोपाधि अभियंता संघ रायपुर, EWS- 485, वैशाली नगर, भिलाई नगर जिला दुर्ग छ.ग.।

विषय:—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी विषयक। संदर्भ:—(1) आपका पत्र क्र. पत्र छ.रा.वि.मं. / प.अ.सं. / 146 दिनांक 05.04.2017 एवं इस कार्यालय का पंजीयन क्र. 33—17 दिनांक 18.04.2017।

(2) आपका अभिलेख शुल्क हेतु पत्र क्र. छ.रा.वि.मं. / प.अ.सं. / 201 दिनांक 24.06.2017।

-::000::-

विषयांतर्गत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके आवेदन में वांछित जानकारी, इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संकलित कर ली गई है, जो कि कुल 08 पृष्ठ में उपलब्ध है, प्रदान की जाती है।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो उक्त जानकारी के विरूद्ध, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, निर्धारित आवेदन पंजीयन शुल्क रू. 50/— मात्र का भुगतान कर प्रथम अपील आवेदन निर्णय प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता निम्नानुसार है:—

श्री पी.के.अग्रवाल अपीलीय अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.संसा.)—एक कार्यालय— मुख्य अभियंता (मा.संसा.) छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर। दूरभाष—0771—2574883

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

(राजीव झा)

्जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.) कार्या. – मुख्य अभियंता (मा.संसा.), छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर दूरभाष क्रमांक 0771–2574081

orgi BIANA

Regd. Office: "Vidyut Sewa Bhavan" Dangania, Raipur (C.G.) Chief Engineer (HR), Shed No. 03, Dangania, Raipur (C.G.) 492013 कार्यालय मुख्य अभियंता (मा०सं०),शंड क्र.—03, डंगनिया, रायपुर (छ०ग०) 492013

Tele: 0771-2574408, Fax: 0771-2574035, E-Mail: hr.cspgcl@cspc.co.in Website: www.cspc.co.in/cspgcl

Date MAR 7016
DGM (IT) / SE (O)
EE.Wald CAPHCI

明多

CHHATTISGARH STATE POWER HOLDING CO.LTD

(A GOVT OF C.G. UNDERTAKING)
CIN No. U65993CT2008SGC020995

O/o Executive Director (HR), RAIPUR (CG)

No.01-03/WAC/Allowance/ 635

Raipur, dt. 1 1 MAR 2016

ORDER

The Chhattisgarh State Power Holding Company Ltd. is pleased to revise the rates/provisions of the allowances and fringe benefits for officers and employees of CS Power Companies made effective vide order No. 01-03/WAC/Allowance/1200 dt. 05.04.2010 and No. 01-05/PD-V/1260 dt. 28.09.2011. These revised rates/provisions of the allowances and fringe benefits applicable w.e.f. 01.03.2016 are as below:

1. Conveyance Allowance -

S.No	Category of Employee	Existing rate (w.e.f. 01.04.2010)	Revised Rate
1 0	Class I officers	Rs. 1250/- p.m.	Rs 1650/- p.m.
2.	Class II officers	Rs. 925/-p.m.	Rs 1200/- p.m.
3.	Class III Employees	Rs. 625/- p.m.	Rs 825/- p.m.
	Class IV Employees	Rs. 375/- p.m.	Rs 550/- p.m.
4.		Rs 175/- p.m.	Rs. 400/- p.m.
5.	Employees having no vehicle		

2. Night Shift Allowance-

Category	Existing rate (w.e.f. 01.04.2010)	Revised Rate
EE & equivalent	Rs. 1000/ p.m.	Rs. 1400/- p.m.
AE & equivalent	Rs. 750/- p.m.	Rs. 1050/- p.m.
Class III & IV	Rs. 32/- per night shift	Rs. 50/- per night shift

3. Boiler Proficiency Allowance -

Category	Existing rate (w.e.f. 01.04.2010)	Revised Rate
Those who obtained Boiler Proficiency Certificate	Rs.500/- p.m.	Rs.750/- p.m.

सूराजा का अधिकार और 2005 के अतंना मार्ग का अधिकार और 2005 के अतंना मार्ग जानकारी पदल - कार्या. मृ. असि. रायपुर, स.स. स.स. वि.उ. कं. सर्था. रायपुर, स.स.

Juli

4. Kit Maintenance Allowance -

N	Category	Existing rate of Kit Maint. Allow.	Revised Rate	
14		(w.e.f. 01.04.2010)	Rs. 150/- p.m.	
-	Fire Officer	Rs. 100/- p.m.		
_	Security officer	Rs. 100/- p.m.	Rs. 150/- p.m.	
		Rs. 100/- p.m.	Rs. 150/- p.m.	
3	Senior Security Officer		Rs.75/- p.m.	
4	Security Inspector	Rs.50/- p.m.		
	Security Sub Inspector	Rs.50/- p.m.	Rs.75/- p.m.	
5		Rs. 30/- p.m.	Rs. 50/- p.m.	
6	Head Security .Guard		Rs. 50/- p.m.	
7	Security Guard/Sel.Gr.	Rs. 30/- p.m.		
*.		* Rs. 50/- p.m.	Rs. 75/- p.m.	
8	Sub-Fire Officer		Rs. 75/- p.m.	
9	Leading Fireman	Rs. 50/- p.m.	and the same of th	
40	Fireman	Rs. 30/- p.m.	Rs. 50/- p.m.	
10		Rs. 30/- p.m.	Rs. 50/- p.m.	
11	Trailor Driver	No. 00.		

- Medical Allowance The CSPHCL is pleased to revise the rate of Medical Allowance from Rs. 300/- per month to Rs. 450/- per month for the Class-III & IV employees posted at the places where Companies' hospital/dispensary or Govt. PHC is not available.
- High Pressure Welding Allowance The CSPHCLis pleased to revise the rate
 of High Pressure Welding Allowance from Rs. 700/- per month to Rs. 1000/- per
 month for the employees performing high pressure welding job.
- Uniform Allowance The CSPHCL is pleased to revise the rate of Uniform Allowance from Rs. 2000/- once in two years to Rs. 1500/- every year for Nurse & ANM and Security & Fire staff.
- 8. Washing Allowance The CSPHCL is pleased to revise the rate of Washing Allowance from Rs. 80/- per month to Rs. 150/- per month for Class-III & IV employees who are provided with liveries

HUM on an and with liveries of the land of

Jelly!

9. Compensatory Allowance -

S.N	Category	Existing rate (w.e.f. 01.04.2010)	Revised rate
i)	Officers of the rank of ED/CE and equivalent	Rs.1800/- per month. Besides this, they get one orderly also.	Rs.7500/- per month. No orderly shall be provided to ED/CE.
ii)	Officers of the rank of Addl. CE/SE/ EE and equivalent	Rs.3600/- per month	Rs.5000/- per month
iii)	Officers of the rank of AE & equivalent	Rs 1800/- per month	Rs.2700/- per month

10. Settlement Allowance - The CSPHCL is pleased to revise the rate of Settlement Allowance for officers & employees who retire/retiring from Company's services on attaining the age of superannuation and family of deceased employee died while in service, as indicated below :-

SN	Cadre	Existing rate (w.e.f. 01.04.2010)	Revised Rate
4	Class I & II officers	Rs. 10,000/-	Rs. 15,000/-
1		Rs. 8,000/-	Rs. 12,000/-
2	Class III employees who are entitled for AC-III tier Class travel by Rail & above class	NS. 0,000/	
3	Class III & IV employees who are for entitled for 2 nd Class travel by Rail	Rs. 6,000/-	Rs. 9,000/-

- 11. Special Allowance for Parade The CSPHCL is pleased to revise the rate of Special Allowance from Rs. 30/- per parade to Rs. 45/- per parade. for Parade occasion the parade performing personnel security Independence/Republic day
- 12. House Rent Allowance The CSPHCL is pleased to continue with the existing provisions of HRA for Power Companies employees/officers which is presently applicable as per Central Govt. provisions, subject to the following:-
 - (a) HRA shall be applicable only when company is unable to provide the employees/officers. If entitlement to per accommodation as

Employee/officer refuses to occupy the company allotted housing and/or

- resort on their own to vacate /shift to their own /other residence keeping company housing vacant, HRA shall not be payable.
- (b) Employees appointed in compliance to R&R policy, being necessarily the local residents, when posted/working at the project station for which the land was acquired, shall not be entitled for the HRA.
- 13. Conveyance Allowance for Disabled Employees The CSPHCL is pleased to revise the amount of conveyance allowance for disabled employees which shall be double the amount of Conveyance Allowance (at sl.No.1 above) payable to the employee of same category.
- 14. Hot Line Maintenance Allowance The CSPHCL is pleased to revise the rate of Hot Line Maintenance Allowance payable to those employees who are trained at CPRI, Bangaluru for Hot Line Maintenance work. This allowance is payable on job basis in place of existing provision of percentage of basic pay. The job wise rates are as under:

SN	Nature of operation	Revised Rate w.e.f. 01.03.2016
1	Changing of insulator on tension location of 220/132 kv lines	Rs 150.00 per string irrespective of no. of discs changed in each string.
2	Changing of insulator on suspension location of 220/132 kv lines	Rs 75.00 per string irrespective of no. of discs changed in each string.
3	Tightening and replacing of arc horns of 220/ 132 kv lines	Rs 20.00 per arc horn
4	Providing and tightening split pins, nut bolts on suspension clamps of 220/132 kv lines	
5	Removing the bird nest etc from tower	arm
6	Checking and re-tightening of PG clamps, jumper cones etc.	Rs 20.00 per jumper cone or PG clamp
3	Fixing of vibration damper on 220/132 kv lines	
8	Fixing of vibration recorder	Rs 20.00 per recorder
9	Measurement of ground clearance	Rs 30.00 per span
10	Providing of jumpers from main busto isolators on 220/132 kv lines	Dicalion of 130 10:00 Party

Etal on suffering suffit, 2005 of suffit suf

11	Providing of Jumpers, Tightening of Clamp, Nut Bolt etc.	
12	Operation of fixing longer armour, splices on one conductor by hot line technique to cover up a portion of conductor which is damage as a result of vibration	THOUSAND TO SEE THE SECOND TO SECOND

It has further been decided that the rate for bare hand maintenance work of 400kV lines & Sub-stations for the staff trained at CPRI, Bangluru will be 1.5 (one and half) times the rates for 220/132kV lines as above. The hot line allowance is payable to only those hot line /bare hand trained staff who actually performs the above jobs. This allowance is not payable to supervisory staff and the employees who do not perform the hot line work.

15. Non-practicing Allowance -

Category	Existing rate	Revised rate
Medical officers / Sr. MO/ACMO & CMO	4 1	addi. pay + compensatory

- 16. Local Outdoor Duty Allowance The CSPHCL has decided to notify the rates of Local Outdoor Duty Allowance separately.
- 17. Travelling Allowance/Daily Allowance The TA/DA rates of State Govt. have been adopted by C.S. Power Companies. Thus, the existing rates are linked with the rate of the State Govt.
- 18. Field Allowance The CSPHCL introduced Field Allowance w.e.f. 01.04.2010 payable @ 5% of basic pay for its Class-III & IV employees who are technical and are covered under Trade Establishment and working 8 hours in a day. This allowance is applicable to technical employees like Attdt.Gr.I/II/III, TA. Gr.II, Asstt.Gr.I/II working in field and power houses except supervisory staff. The CSPHCL has decided to make no change in the existing provisions of field allowance.
- 19. Additional Wages- Presently Class-III & IV employees who are called for duty on National & Specified Festival Holidays are entitled for payment of additional wages. The CSPHCL is pleased to decide that in lieu of existing provisions of payment of additional wages Compensatory off shall be given to such

employees within three months of duty performed on National & specified Festival Holidays.

- 20. Bilingual Allowance The CSPHCL has decided to abolish this allowance w.e.f. 01.03.2016.
- 21. Cash Handling Allowance The CSPHCL has decided to abolish this allowance w.e.f. 01.03.2016.
- 22. Courier Allowance The CSPHCL has decided to abolish this allowance w.e.f. 01.03.2016.

EXECUTIVE DIRECTOR (HR)

Raipur, dt. 11 1 MAR 2016

Endt.No.01-03/WAC/Allowance/ 636.
Copy to -

1.	The Joint Secretary (Energy), Govt. of Chhattisgarh, Mantralaya,	Naya	Raipur.
2	The Executive Director	*	
3.	The Chief Engineer		
4.	The Additional Chief Engineer/AGM	*******	
-	The Chief Vigilance officer, CSPHCL, Raibur		
0	The Dy Caneral Manager (HR)/(Fin)	*****	
ange	The Concrintending Engineer		
8.	The Dv. General Manager (IR)/(PR)/(Legal)	£40++4**	***
0	The Decident Engineer CSPHCL, New Delfil		
40	The Evecutive Engineer /Manager	* 1 * 4 * * * * * *	4.4
4 4	The Sr Accounts Officer	********	
12	The Accounts Officer/Asstt. Manager		
13	The Library officer, CSPHCL, Raipur		

Note – The Chief Engineer (EITC) is requested to upload this order in the official website of CS Power Companies.

स्याना का अधिकार आहे. 2005 के अपनी जानकारी प्रदेश का संयो, सु अही. (सा.सं.)

ADDL.GENERAL MANAGER (HR)
CSPHCL: RAIPUR

(ii) यह आदेश ऐसे क्षेत्र में जो कि सूचित (named) नगरपालिका या नगरनिगम की सीमाओं में राज्य शासन द्वारा सम्मिलित किये जाते/हटाये जाते हैं, को सम्मिलित/हटाये जाने की तिथि से स्वतः लागू होंगे/प्रभावहीन हो जावेंगे।

ब (i) जिस मंडल कर्मचारी के काम करने का स्थान किसी नगर की अईकारी सीमा के भीतर स्थित है वह मकान किराया भत्ता का पात्र होगा चाहे उसका आवास ऐसी सीमाओं के

टीप :- (1) अवकाश (Leave) के साथ जोड़ी गई छुट्टियों को छोड़कर छुट्टियों के दिनों में कार्यस्थल से अनुपस्थिति, मकान किराया भत्ता की पात्रता को प्रभावित नहीं

- (2) दौरे की अवधि के लिए किसी मंडल कर्मचारी को मकान किराया भत्ता की पात्रता उसके मुख्यालय के अनुसार ही नियमित होगी।
- मंडल कर्मचारी को इस आदेश में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत तभी मकान किराया भत्ता देय होगा जब वह किसी किराये के मकान में रहता/रहती हो अथवा स्वयं/ पत्नी/ पिता/ माता के मकान में रहता हो।

किराये की रसीद का सत्यापन आवश्यक नहीं -

मंडल के सभी कर्मचारियों को उनके द्वारा भुगतान की गई किराये की राशि को ध्यान में रखे बिना तथा किसी प्रकार की किराया भुगतान रसीद प्रस्तुत किये बिना, मकान किराया भत्ता ग्राहय होगा। किन्तु किराया के मकान में निवास करने वाले कर्मचारियों को निर्धारित प्रपत्र-अ में भुगतान किये जाने वाले किराया की राशि की घोषणा करना

स्वयं के मकानों में रहने वाले मंडल के कर्मचारी -

(i) अपने स्वयं के, पत्नी/ पति/ संतान/ माता या पिता के मकान में रहने वाले मंडल के कर्मचारी भी इन आदेशों के अंतर्गत मकान किराया भत्ते के पात्र होंगे।

टीप - ऊपर उल्लेखित मंडल के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता उन्हीं शर्तों की पूर्ति के पश्चात् स्वीकृत होगा जो किराये के निजी मकान में रहने वाले मंडल के कर्मचारियों के लिए लागू होती है।

- (ii) यदि मंडल के किसी कर्मचारी का कार्य करने के स्थान पर स्वयं का मकान है परन्तु वह उसके स्थान पर, किराये के मकान में रहता है, तो उसे किराये के मकान के लिए यदि अन्यथा ग्राहय है, मकान किराया भत्ता मिलेगा।
- 10. किराये/स्वयं के मकान में रहने वाले पित और पत्नी दोनों ही मंडल के कर्मचारी:-यदि पित और पत्नी दोनों ही मंडल के कर्मचारी हैं और किराये के/स्वयं के मकान में एक साथ रहते हैं तो मकान किराया भत्ता प्राप्त करने की अन्य शर्तों को पूरा करने पर उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें सामान्य मकान किराया भत्ता ग्राहय होगा।

स्ताना का अधिकार आहे. 2005 के अतर्गत (36)जातकारी प्रदल्त - कार्याः मु. अप्तिः (मा.सं.) ति.उ. कं. मर्था. रायपुर हु।

11. जो मंड किराय

निम्न ३ अ (i) मंडल निर्धारित प्रक्रि उन्हें आवास

(ii) मंडल के किराया भता तिथि को छो आवासग्रह व किराया भत्ता स्थिति में.

तिथि से ग्रा

(ііі) मंडल जिसको वह इन आदेश पर मिलने विकल्प हो

आवंटन वि

(iv) मंडर छोडकर) आवास व अस्वीकार पात्रता की

(v) यदि दाण्डिक रखने हेत रूप से म के पश्चा

(vi) यति रहता थ आता है मंडल ह

8

12. मकानं किराया भत्ता प्राप्त करने की शर्ते -

- (अ) मंडल के किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता का अधिकार नहीं होगा, यदि -
- (i) वह किसी अन्य मंडल कर्मचारी जिसकी कि मंडल का आवास निःशुल्क आवंटित किया हो, के साथ रहता/रहती हो, अथवा
- (ii) वह/ उसके/ उसकी पिता/ माता/ संतान को मंडल केन्द्रीय शासन/राज्य शासन/ स्वशासी सार्वजनिक उपक्रम या नगरपालिका, पोर्टट्स्ट, राष्ट्रीकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि जैसे अर्धशासकीय संगठन द्वारा आवंटित आवासगृह में रहता/रहती है।
- (iii) उसकी/ उसके पत्नी/ पित को उस स्थान पर मंडल, केन्द्रीय शासन, राज्य शासन, स्वाशासी सार्वजनिक उपक्रम या नगरपालिका, पोर्टटूस्ट आदि जैसे अर्धशासकीय उपक्रम द्वारा आवास आवंटित किया गया हो चाहे वह उस आवास में रहता/रहती हो अथवा अपने द्वारा किराये पर लिए गए आवास में रहता/रहती हो।

13. विभिन्न परिस्थितियों में भत्ते का विनियमन -


निम्न प्रकरणों में मकान किराया भत्ता का आहृत (drawal) का विनियमन निम्नानुसार किया जावेगा –

(अ) अवकाश

(i) मंडल के कर्मचारी को अवकाश के दौरान उसी दर से मंहगाई भत्ता आहत करने का अधिकार होगा जिस दर से उसे अवकाश पर जाने से पूर्व आहत करता था। इस उद्देश्य के लिए, अवकाश का तात्पर्य, कुल चार माह तक का सब प्रकार का अवकाश होगा, किन्तु अन्त्य (टर्मिनल) अवकाश सम्मिलित नहीं होगा चाहे नोटिस की अविध के साथ-साथ चल रहा हो अथवा नहीं। जहां छुट्टियां या "आफ" (off) अवकाश के साथ सम्मिलित किये गये हों वहां छुट्टियों, आफ और अवकाश की सम्पूर्ण अविध को, एक ही अवकाश का दौर (spell of leave) माना जावेगा।

टीप — मण्डल के कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर चार माह से अधिक का, प्रारम्भिक तौर पर, अवकाश स्वीकृत किया गया है और वह अन्ततः अशक्तता के आधार पर मण्डल की सेवाओं से सेवानिवृत्त होता है और इस प्रकार उसकी संपूर्ण अवकाश सेवानिवृत्ति पूर्व — अवकाश हो जाने से, उसके द्वारा आहत किया गया मकान किराया भत्ता की राशि की वसूली आवश्यक नहीं होगी। मण्डल के जिन कर्मचारियों को मूलतः चिकित्सा या किसी अन्य आधार पर अवकाश स्वीकृत किया जाता है किन्तु ऐसे अवकाश के दौरान मृत्यु या अशक्तता के कारण, अवकाश की समाप्ति पर वे पुनः कार्य पर उपस्थित नहीं हो पाते, तो ऐसी अवधि के लिए मकान किराया भत्ते का विनियमन भी उसी प्रकार होगा।

2. जिन प्रकरणों में मण्डल के किसी कर्मचारी को चिकित्सा अथवा किसी अन्य आधार पर अवकाश स्वीकृत किया जाता है और वह इस प्रकार का अवकाश प्राप्त करने के





छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल पत्रोपाधि अभियंता २

(अखिल भारतीय पावर पत्रोपाधि अभियंता संघ से संबद्ध एवं छ.रा.वि.कं. मर्या. से मान्यता प्राप्त) पंजीयन क्रमांक-छत्तीसगढ़ राज्य - 0128,स्थापना - 5 मार्च 2002

प्रांतीय अध्यक्ष

इंजी.एस. के. महादुले मो. - 8103935851

संरक्षक

इंजी.एस.के. बंड मो. 9827117903

प्रांतीय महासचिव

इंजी. एस.के. राय मो. - 9827178927

संयोजक इंजी. सुबोध शुक्ला मो. 9827156263

प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजी. एस. के. राठौर मो. 9893958882

प्रांतीय उपाध्यक्ष इंजी. एन. के. चन्द्राकर मो. 9425505291

प्रांतीय अति.महासचिव इंजी. अविनाश चौहान 1. 9827108753

प्रांतीय संगठन सचिव इंजी. वी.एल. नारखंडे मो. 9827157092 प्रांतीय विधि सचिव इंजी. वाय.के. जायसवाल मो. 9993854462

प्रांतीय वित्त. सचिव इंजी. के. सुरेश कुमार मो. 9826228735

प्रांतीय कार्यालय सचिव इंजी. ए.पी. भेंसले मो. 9425520844

प्रांतीय प्रचार सचिव इंजी. श्रद्धा दिल्लीवार मो. 9907405624

ज्ञतीय संयुक्त सचिव इंजी. महेन्द्र साह् मो. 7694012262 इंजी. तनोज मित्रा मो. 9827190518 इंजी. एन.एस. परिहार मो. 9302299726 इंजी. हरीश मनहर

मो. 9827864826 इंजी. समीर पाण्डेय

मो. 9589790801 इंजी. एल. एन. बंछोर

मो. 7587175276 इंजी. विमलेश सिंह मो. 9424113339

इंजी. कृष्णचन्द्र जोशी मो. 9826175225

इंजी. आर. आर. पाण्डेय मो. 9926171810 इंजी. श्वेता वर्मा

मो. 9406108138

क्रमांक-छ.रा.वि.मं./प.अ.सं./146 प्रति.

दिनांक . 0.5 / 64/ 2 जनसूचना अधिकारी, 0/o CE (HR) कार्या. महाप्रबंधक/कार्यपालक निरंवाक (मा स) Rect. No. . . 3131 C.S.P.G.C.L., RAIPUR छ.रा.वि. उत्पादन कंपनी मर्या., विद्युत सेवा भवन, डंग्**षिण** रे.सं. भे. रारापुर, 492013 (छ.ग.)

विषय :- छ.ग.वि.उत्पादन कं.मर्या. में कार्यरत पति एवं पत्नि के संबंध में जानकारी प्रदान करने विषयक।

संदर्भ :-जनसूचना का अधिकार अधिनियम 2005

महोदय,

संदर्भ एवं विषयानुसार जनसूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नानुसार जानकारी प्रदान करने का कट करें -

1) छ.रा.वि.उत्पादन कं.मर्या. में कार्यरत परि एवं पत्नि की जानकारी/सूची प्रदान करने का कष्ट करें।

2) छ.रा.वि.उत्पादन कं.मर्या. में कार्यरत पति ्यं पत्नि को प्रदत्त किये जा रहे मकान भत्ता के संबंध में लागू परिपत्रों की प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।

इस हेतु नियमानुसार रू० 10/- दा पोस्टल आदि संलग्न है- मांग पत्र जारी करने पर राशि जमा करने हेतु सहगत है।

भवदीय

एस. के. महादुले अध्यक्ष ः.रा.वि.मं. पत्रोपाधि अभियंता संघ रायपुर

证. 9425242079 / 8226012079

संलग्न - पोस्टल आर्डर क्र. ५२ ६२६७२५ 6

पत्राचार का पता एस.के. महादुले EWS -485 वैशालीनगर, भिलाई नगर जिला - दुर्ग (छ.ग.)

संगठन ही शक्ति है

सतत् विद्युत प्रदाय सर्वोपरि टीप:- क्रम्या रेन्स्पर पोरल आहर के आहरण कहा उन्हां कि हा हा कार्य का नाम दर्ज करेंग का क्रयूक

MAGTE

MI